



भारत सरकार Government of India

खान मंत्रालय Ministry of Mines

भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines

100, ओल्डनेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun (U.K.)248001

TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail – [ro.dehradun@ibm.gov.in](mailto:ro.dehradun@ibm.gov.in)

**VIOLATION LETTER**  
E-MAIL / REGD.A.D.



फाईल संख्या: MCDR-MiFL0LST/6/2023-DDN-IBM\_RO\_DDN

दिनांक: 27.10.2023

सेवा में To : रूप सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री केहर सिंह  
खननपट्टाधारक- नोहराधर चूनापत्थर खान  
गांव व पोस्ट व तहसील-नोहराधर  
जिला-सिरमौर, हि.प्र.  
E-mail: [harryparwinder@gmail.com](mailto:harryparwinder@gmail.com)

विषय Sub: गांव व पोस्ट व तहसील - नोहराधर, जिला- सिरमौर हिमाचल प्रदेश के पास 4.98 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र में स्थित आपकी नोहराधर चूना पत्थर खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में।

महोदय Sir,

कार्यालय अभिलेखों के परीक्षण में आपकी उपरोक्त खदान में दिनांक 30-09-2023 को खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

नियम	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
34A(2)	Every lessee, other than those covered under sub-rule (1), shall submit soft copy of high resolution Geo-referenced Ortho-rectified Multispectral satellite images of the leased area and upto hundred metres outside the lease boundary taken in the month of April to June of every year, to the Controller General on or before 1st day of July of the that year in the standards formats such as GeoTIFF along with metadata or any other format as may be specified by the Indian Bureau of Mines in this regard: On perusal of office records it is observed that desired output image in a specified format has not been submitted to the competent authority by the holder of the lease in the prescribed till date even after sought through email by this office on dated 26-07-2023.

आपके द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु नियम 34A(2)की जानकारी DDMS portal में जमा नहीं करायी गयी है!

2. इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 34A(2) का उल्लंघन नियम 62(1) के तहत दंडनीय अपराध है।
3. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों में तत्काल सुधार करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय Yours faithfully

(दीपक शर्मा/Deepak Sharma)

वरिष्ठ खनन भू-विज्ञानी/ Senior Mining Geologist

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। ([zo.udipur@ibm.gov.in](mailto:zo.udipur@ibm.gov.in))
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि. प्र. सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि. प्र.). ([geologicalwing@gmail.com](mailto:geologicalwing@gmail.com))
- 3- गार्ड फाइल

वरिष्ठ खनन भू-विज्ञानी/ Senior Mining Geologist